

अध्याय-2
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2020-21 में, वस्तु एवं सेवा कर/वैट/बिक्री कर निर्धारण से संबंधित 45 इकाइयों में से 11 (राजस्व: 08, व्यय: 03) इकाइयों (कुल 57,659 निर्धारण मामलों में से 11,760 कर-निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी) तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच में 436 मामलों में ₹ 524.18 करोड़ (वर्ष 2019-20 में ₹ 27,270.76 करोड़ की प्राप्ति का 1.92 प्रतिशत) के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।


तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वस्तु एवं सेवा कर रिफंड पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	01	3.98
2.	ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	01	382.94
3.	कर का अवनिर्धारण	158	42.78
4.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	34	15.31
5.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	22	10.10
6.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	137	41.05
7.	अन्य अनियमितताएं	67	22.75
	कुल (I)	420	518.91
व्यय			
1.	अन्य अनियमितताएं	16	5.27
	कुल (II)	16	5.27
	कुल योग (I+II)	436	524.18

(स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा)

चार्ट 2.1
लेखापरीक्षा के परिणाम


(₹ करोड़ में)



(स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा)

चार्ट 2.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा)

विभाग ने 33 मामलों में आवेष्टित ₹ 7.41 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने 23 मामलों में आवेष्टित ₹ 33.98 लाख वसूल किए जिनमें से एक मामले में वसूल किए गए ₹ 0.03 लाख इस वर्ष से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थी।

₹ 476.70 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। एक अनुच्छेद के दो मामलों में ₹ 1.34 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

2.3 बिक्री के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन/क्रॉस सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 4.56 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

पांच कर-निर्धारण प्राधिकारियों से आवेष्टित 33,157 मामलों में से 8,908 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के मध्य) से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), फरीदाबाद (पश्चिम) और गुरुग्राम (उत्तर) के कार्यालयों में पांच मामलों¹ में पांच डीलरों ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए अपनी तिमाही/वार्षिक रिटर्न में सही बिक्री नहीं दिखाई थी। जबकि तीन मामले गलत बिक्री आंकड़ों के थे, इन पांच मामलों में से दो में आरंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक बेमेल थे, जिससे बिक्री का छिपाव हुआ। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2019 और मार्च 2019 के मध्य) बिक्री के विवरणों का क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में तथा आरंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में सत्यापन नहीं किया। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 228.49 करोड़ की कुल बिक्री में से ₹ 29.96 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.56 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पश्चिम) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो मामलों को स्वतः कार्रवाई हेतु उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त

¹ फरीदाबाद (पश्चिम): 3 मामले, गुरुग्राम (उत्तर): 2 मामले।

(निरीक्षण) के पास भेजा गया था तथा अन्य मामले में पुनर्निर्धारण हेतु सूचना डीलर को जारी की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो मामले जांच के अधीन थे/डीलरों के विरुद्ध पुनर्निर्धारण की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग अनुमति देने से पहले डीलर के दावे को क्रॉस-सत्यापित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करना सुनिश्चित करे।

2.4 अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेता डीलरों से खरीद के सत्यापन के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 26.53 करोड़ की पेनल्टी भी उद्घाह्य थी।

सितंबर 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार, इनपुट टैक्स का अर्थ वैट डीलर को बेचे गए माल के संबंध में राज्य को वास्तव में भुगतान की गई कर की राशि है, जिसे ऐसे डीलर को उसके द्वारा कर के वास्तविक भुगतान के रूप में क्रेडिट लेने की अनुमति है, जिसकी गणना धारा 8 के प्रावधान के अनुसार की जाती है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अंतर्गत, वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी सामान के संबंध में इनपुट टैक्स राज्य को ऐसे माल की बिक्री पर भुगतान किए गए कर की राशि होगी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने मार्च 2006 एवं जुलाई 2013 में निर्देश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखों या दस्तावेजों आदि के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (पेनल्टी के रूप में बचाए गए कर का तीन गुना) का प्रावधान है।

सोलह कर-निर्धारण प्राधिकारियों से आवेष्ठित 1,22,864 मामलों में से 33,901 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018 एवं अक्टूबर 2020 के मध्य) में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 हेतु आठ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर)² से संबंधित 20 डीलरों के 43 मामलों के निर्धारणों को अंतिम स्वरूप देते समय (मई 2017 और दिसंबर 2019 के मध्य) कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेता डीलरों से खरीद और कर के वास्तविक भुगतान के सत्यापन के बिना ₹ 9.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दी जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

² अंबाला, बहादुरगढ़, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (दक्षिण), गुरुग्राम (पूर्व), करनाल और पानीपत।

तालिका 2.4: दावा किए गए अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण

क्र. सं.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त	डीलरों/मामलों की संख्या	फर्जी खरीद	कर की दर (प्रतिशत में)	दावा किया गया फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट	धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी	कुल राशि
1.	अंबाला	4/10	4,80,78,287	5 से 13.125	38,95,705	1,16,87,115	1,55,82,820
2.	गुरुग्राम (पूर्व)	2/2	45,92,840	5 से 13.125	4,29,167	12,87,501	17,16,668
3.	फरीदाबाद (पूर्व)	3/6	3,94,51,702	4.2 से 13.13	44,90,319	1,34,70,957	1,79,61,276
4.	फरीदाबाद (उत्तर)	3/7	6,32,41,140	5.25 से 13.13	49,78,233	1,49,34,694	1,99,12,927
5.	करनाल	4/6	1,09,62,39,520	5 से 5.25	5,94,61,927	17,20,52,061	23,15,13,988
6.	फरीदाबाद (दक्षिण)	2/8	9,28,35,810	5 से 13.125	1,06,99,179	3,20,97,537	4,27,96,716
7.	बहादुरगढ़	1/1	10,24,31,584	4.2 से 13.125	48,69,282	1,46,07,846	1,94,77,128
8.	पानीपत	1/3	3,31,05,138	5.25	17,38,020	52,14,060	69,52,080
कुल		20/43	1,47,99,76,021		9,05,61,832	26,53,51,771	35,59,13,603

लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित डीलरों की बिक्री/खरीद सूचियों के क्रॉस-सत्यापन पर, यह पाया गया कि या तो विक्रेता डीलरों ने इन क्रेता डीलरों को कोई बिक्री नहीं दिखाई थी अथवा विक्रेता डीलरों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुचित प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 26.53 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर पांच उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³ ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि 25 मामलों में पुनर्निर्धारण कार्यवाही प्रारंभ की गई थी/स्वतः कार्रवाई हेतु उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि चार मामलों में डीलरों ने संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, बहादुरगढ़ ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि एक मामले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत ₹ 1.46 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत की गई थी और डीलर को ₹ 1.97 करोड़ हेतु टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (दक्षिण) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि सात मामलों में डीलर को ब्याज सहित ₹ 1.88 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पूर्व) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो मामलों में ₹ 0.47 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (दक्षिण) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि एक मामले में डीलर को ₹ 39.12 लाख का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत ने सूचित किया कि तीन मामलों में अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग उचित सत्यापन के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति देने के लिए ठोस प्रणाली सुनिश्चित करे।

³ अंबाला, करनाल, गुरुग्राम (पूर्व), फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (उत्तर)।

2.5 पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच डीलरों को फर्जी खरीद/अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया लेकिन ₹ 24.66 करोड़ की निर्धारित पेनल्टी नहीं लगाई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य के बाहर निर्यात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

38,455 प्रकरणों में से 9,953 प्रकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019 एवं जनवरी 2021 के मध्य) में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर), गुरुग्राम (उत्तर), करनाल और सोनीपत के कार्यालयों के पांच डीलरों के आठ मामलों⁴ में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए अपनी खरीद/बिक्री राशि को ₹ 78.20 करोड़ तक अधिक बताया गया था और फर्जी खरीद/अंतर्राज्यीय बिक्री के कारण अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2019 और फरवरी 2020 के मध्य) इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया/कर का उद्ग्रहण किया लेकिन हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.66 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) तथा सोनीपत ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि पांच मामलों में उद्गृहीत/लगाई गई पेनल्टी के संबंध में ₹ 3.05 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और डीलरों को नोटिस दिए गए थे। गुरुग्राम (उत्तर) और करनाल के शेष तीन मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, मामले की जांच की जा रही थी और मामले को स्वतः कार्रवाई करने के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (निरीक्षण) के पास भेजा गया था।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग द्वारा पता लगाए गए छिपाव के मामलों में पेनल्टी का उद्ग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विभाग, प्रणाली और प्रक्रियाओं को स्थापित करना सुनिश्चित करे।

⁴ गुरुग्राम (उत्तर): 3, करनाल: 1 और सोनीपत: 4.

2.6 'एफ' फॉर्मों और 'सी' फॉर्मों के विरुद्ध छूट की अनुमति के कारण अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 17 डीलरों को ₹ 70.05 करोड़ मूल्य के शाखा अंतरणों/खेप की गलत छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 11.82 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 (ए) (1) में प्रावधान है कि जहां कोई डीलर इस आधार पर कि ऐसे माल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे में उसके व्यापार या उसके एजेंट या प्रमुख के किसी अन्य स्थान पर ऐसे माल के स्थानांतरण के कारण घटित हुआ था, दावा करता है कि इस अधिनियम के अधीन वह कर के भुगतान करने का दायी नहीं है, इस प्रयोजन के लिए वह व्यापार के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रमुख द्वारा हस्ताक्षित फार्म 'एफ' में एक घोषणा कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करे। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, कर के भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज जमा करने पर तीन गुना पेनल्टी उद्ग्रह्य है। हरियाणा सरकार ने 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 को डीलरों के कर रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले ₹ एक लाख से अधिक के अंतःराज्यीय एवं अंतर्राज्यीय लेन-देन के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे। आगे, हरियाणा सरकार ने जनवरी 2018 में संबंधित राज्य कर अधिकारियों से प्रासंगिक 'फॉर्म सी' और 'फॉर्म एफ' के सत्यापन के लिए मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की थी और यह भी निर्देश दिया था कि जहां सत्यापन आदेश की तारीख से छः माह के भीतर या सत्यापन पत्र के प्रेषण की तारीख से जो भी बाद में हो, सत्यापन प्राप्त नहीं होता है, निर्धारण प्राधिकारियों को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियमों के अनुसार कर और पेनल्टी लगानी चाहिए।

34,472 मामलों में से 9,614 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (जून और दिसंबर 2018 के मध्य) से पता चला कि पांच उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर)⁵ के कार्यालयों में 12 डीलरों ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 हेतु राजस्थान तथा दिल्ली में स्थित पांच फर्मों को ₹ 62.88 करोड़ की शाखा अंतरण/प्रेषण बिक्री पर छूट का दावा प्रस्तुत किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने राजस्थान तथा दिल्ली में स्थित अपनी संबंधित शाखाओं/एजेंट से प्राप्त 63 'एफ' फॉर्म⁶ दाखिल किए। संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों ने जून 2015 और मार्च 2018 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और दायर की गई घोषणाओं के आधार पर छूट की अनुमति दी किंतु उपर्युक्त निर्देशों में दिए गए सत्यापन को नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने इन 63 'एफ' प्रपत्रों को सत्यापन के लिए राजस्थान तथा दिल्ली के संबंधित प्राधिकारियों को संदर्भित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने सूचित किया कि पंजीकृत पते पर डीलरों के कार्य न करने के कारण 11 मामलों के 53 फॉर्म

⁵ अंबाला: 5, फरीदाबाद (उत्तर): 1, कैथल: 1, कुरुक्षेत्र: 4 और शाहबाद: 1.

⁶ अंबाला: 24, फरीदाबाद (उत्तर): 10, कैथल: 4, कुरुक्षेत्र: 18 और शाहबाद: 7.

रद्द घोषित किए गए थे। राजस्थान के संबंधित प्राधिकारियों ने सूचित किया कि एक मामले से संबंधित 10 फॉर्म जहां फर्म का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, फर्जी घोषित किए गए थे। इस प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य 'एफ' प्रपत्रों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.43 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि छः मामले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए थे और 12 मामलों में ₹ 36.01 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (उत्तर) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत 10 मामले पुनरीक्षण के अधीन थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, शाहबाद ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि सात मामलों में सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को पत्र जारी किए गए थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र ने फरवरी 2022 में सूचित किया कि 28 मामलों में डीलरों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र पहले ही रद्द कर दिए गए थे।

(ख) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 (4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत न करे और जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म में विवरण हों। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या कर इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन/दावा किए गए लाभ का तीन गुणा) का प्रावधान है। आगे, हरियाणा सरकार ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में ₹ एक लाख से अधिक अंतःराज्यीय या अंतर्राज्यीय लेन-देनों के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे। मामलों में मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) (जनवरी 2018) के अनुसार, जहां सत्यापन रिपोर्ट निर्धारण आदेश की तारीख से या सत्यापन पत्र के प्रेषण से छः माह के अंदर, जो भी बाद में हो, प्राप्त नहीं होती है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियम में प्रदान किए गए अनुसार कर तथा पेनल्टी उद्ग्रहण करनी चाहिए।

27,715 मामलों में से 6,326 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी एवं सितंबर 2020 के मध्य) में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए चार उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) के कार्यालयों में 11 मामलों में पांच डीलरों⁷ ने अपनी अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 7.17 करोड़ की राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में डीलरों ने 11 'सी' फॉर्म⁸ प्रस्तुत किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्च 2018 तथा दिसंबर 2019 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्देशों के

⁷ चरखी दादरी: 2, गुरुग्राम (पूर्व): 3, जगाधरी: 3 और रोहतक: 3.

⁸ चरखी दादरी: 2, गुरुग्राम (पूर्व): 3, जगाधरी: 3 और रोहतक: 3.

अनुसार सत्यापन के बिना दाखिल किए गए घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने इन प्रपत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के राज्य कर अधिकारी द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन पर (दिसंबर 2018 और फरवरी 2020 के मध्य) यह पाया गया था कि फॉर्म पहले ही रद्द किए गए थे, या विक्रेता डीलरों को जारी नहीं किए गए थे, फर्मों को फर्जी घोषित किया गया था या पंजीकरण पहले ही संदिग्ध गतिविधियों के कारण रद्द कर दिया गया था, फर्म कार्य नहीं कर रही थीं, गैर-मौजूद फर्मों द्वारा फॉर्म डाउनलोड किए गए थे, डीलर वास्तविक नहीं थे और उनके प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए गए थे। इस प्रकार, बिना उचित सत्यापन के कर की रियायती दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.39 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि चार मामलों में, डीलर को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी किया गया था, पांच मामलों में सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र भेजा गया था तथा दो मामले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग उचित सत्यापन के बाद अंतःराज्यीय और अंतर्राज्यीय बिक्री/परिचालन के दौरान रियायत देने के अपने निर्देशों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करे।

2.7 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने, निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, कर-मुक्त/अंतर्राज्यीय बिक्री के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.68 करोड़ का अधिक लाभ प्रदान हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) के अनुसार, (i) जब माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है अथवा (ii) जब माल का उपयोग माल के निर्माण में किया जाता है और निर्मित माल को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है अथवा (iii) जब माल खरीद मूल्य से कम बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, तो इनपुट टैक्स राज्य में इस तरह के सामान की खरीद पर वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की सीमा तक, जो भी कम हो, स्वीकार्य है।

82,868 मामलों में से 20,450 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018 और अगस्त 2020 के मध्य) से पता चला कि आठ⁹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) के 12 डीलरों ने 12 मामलों में ₹ 211.84 करोड़ की खरीद दिखाई थी और क्रय मूल्य पर ₹ 11.11 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, ₹ 4.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट को कर मुक्त अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री के कारण वापस किया जाना था। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (सितंबर 2017 और सितंबर 2019 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रत्यावर्तित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण ₹ 4.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक लाभ की अनुमति दी गई।

यह इंगित किए जाने पर सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) ने फरवरी 2022 में सूचित किया कि मामले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए थे/पुनर्निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी तथा एक मामले में डीलर को ₹ 15.93 लाख के लिए टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग यह सुनिश्चित करे कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान कर-मुक्त बिक्री और बिक्री के मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस कर दिया जाए।

2.8 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच डीलरों को कर की गलत दर अनुमत की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की दरें अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

⁹ अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, जौंद और टोहाना।

पांच¹⁰ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) के 43,589 मामलों में से 12,071 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य) से पता चला कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए पांच डीलरों के छः मामलों के कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (सितंबर 2017 और मार्च 2019 के मध्य) कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने माल की बिक्री पर लागू कर की दर से कम कर दरें लागू की, जिनका विवरण तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.8: कर की गलत दर लागू करने के विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं. (सी1)	कार्यालय उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (सी2)	निर्धारण वर्ष/ निपटान (सी3)	माल (सी4)	बिक्री की राशि (सी5)	उद्ग्राह्य कर की दर (अधिभार सहित) (सी6)	उद्ग्राह्य कर राशि (सी7)	उद्गृहीत कर राशि (सी8)	कर का कम उद्ग्रहण (सी9=सी7-सी8)	ब्याज
1	बहादुरगढ़	2014-15/806 दिनांक 15 जनवरी 2018	मिट्टी	1,05,80,599	13.125%	13,88,704	0	13,88,704	10,85,040
2	अंबाला	2014-15/350 दिनांक 26 सितम्बर 2017	पनीर और सफेद मक्खन	7,06,99,557	13.125%	92,79,317	37,11,727	55,67,590	39,38,142
3	करनाल	2014-15/645 दिनांक 12 फरवरी 2018	पनीर	1,37,82,684	13.125%	18,08,977	7,23,591	10,85,386	8,68,309
			काजू पिन्नी और मिल्क केक	12,36,688	5.25%	64,926	0	64,926	51,941
4	पलवल	2016-17/653 दिनांक 27 नवम्बर 2018	सेट टॉप बॉक्स	2,71,02,611	13.125%	35,57,218	14,22,887	21,34,331	10,77,126
5	फरीदाबाद (पश्चिम)	2015-16/1063 दिनांक 27 मार्च 2019	लुब्रिकेंट	5,31,75,964	13.125%	69,79,345	27,91,738	41,87,607	34,70,130
योग				17,65,78,103		2,30,78,487	86,49,943	1,44,28,544	1,04,90,688

कर की कम दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, तीन मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारी, बहादुरगढ़ तथा करनाल (फरवरी 2022) ने सूचित किया कि ₹ 90.48 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और डीलरों को टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी, पलवल (फरवरी 2022) ने सूचित किया कि पुनःनिर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया कि मामला उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा "डेनोवो असेसमेंट" के लिए कर-निर्धारण प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया गया था तथा फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि डीलर को नोटिस जारी किया गया था।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य मामलों की विस्तृत संवीक्षा करे कि कर की दरें हरियाणा मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुसार उद्गृहीत की जा रही हैं।

¹⁰ अंबाला, बहादुरगढ़, फरीदाबाद (पश्चिम), करनाल, पलवल।

2.9 कम सकल टर्नओवर के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर का ₹ 8.59 करोड़ तक कम निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.58 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के अंतर्गत, किसी भी डीलर के संबंध में सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) का अर्थ है ऐसे डीलर द्वारा बेचे गए किसी भी माल के संबंध में प्राप्त या प्राप्त बिक्री मूल्य का योग, चाहे वह प्रिंसिपल, एजेंट या किसी अन्य क्षमता में हो, और इसमें राज्य से बाहर निर्यात किए गए या बिक्री के अलावा अन्यथा निपटाए गए माल का मूल्य शामिल है।

वर्ष 2014-15 से 2017-18 (पहली तिमाही) के कर-निर्धारण मामलों के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) फरीदाबाद (पश्चिम), फतेहाबाद और कैथल के कार्यालयों के 22,973 मामलों में से 6,426 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2019 और नवंबर 2020 के मध्य) से पता चला कि तीन मामलों में कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2018 और जनवरी 2020 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 21.55 करोड़ के सकल टर्नओवर पर मामले का कर-निर्धारण किया। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि कर-निर्धारण के लिए सकल टर्नओवर को ₹ 8.59 करोड़ तक कम लिया गया था। इसका कारण सकल टर्नओवर में कुछ तिमाहियों के लिए बिक्री/खरीद पर विचार नहीं किया जाना बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.58 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, फतेहाबाद और कैथल ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत फरवरी 2022 हेतु पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था तथा डीलरों को सौंपा गया था। कार्यवाही का अंतिम परिणाम तदनुसार सूचित किया जाएगा। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पश्चिम) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि ₹ 46.90 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और डीलर को नोटिस दिया गया था। बकाया की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग सकल टर्नओवर में सभी आकस्मिक व्यय को शामिल करते हुए निर्धारण के समय उचित सकल टर्नओवर पर विचार करने के लिए सभी कर-निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश जारी करे।

2.10 वस्तु एवं सेवा कर रिफंड पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.10.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 को जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को कर के व्यापक प्रभाव को कम करने, वस्तुओं एवं सेवाओं को सामान्य

बाजार में लाने तथा सरल, स्व-विनियमन और गैर-घुसपैठ कर अनुपालन व्यवस्था लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कुछ वस्तुओं/क्षेत्रों को छोड़कर और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता को छोड़कर, कई केंद्रीय तथा राज्य करों को एकीकृत करने के संबंध में वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। कर दरों की बहुलता को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय VII और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों के अध्याय XI में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर कानूनों में निहित रिफंड से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत रिफंड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। यह निर्णय लिया गया था कि दावा और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, 25 सितंबर 2019 तक पोर्टल पर अपलोड किए गए रिफंड आवेदन हेतु अस्थायी तंत्र तैयार, कार्यान्वित तथा अनुसरित किया गया था। 26 सितंबर 2019 से रिफंड आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने, सहायक दस्तावेजों, बयानों, नोटिसों के जवाब आदि की सुविधा के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफंड आवेदनों को प्रसंस्कृत करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई थी।

2.10.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित का निर्धारण करने के लिए आयोजित की गई थी:

- (i) रिफंड प्रदान करने के संबंध में जारी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- (ii) कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन तथा करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की प्रभावशीलता; तथा
- (iii) रिफंड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के निष्पादन की जांच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र।

2.10.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय रिफंड डेटा प्रदान किया। 26 सितंबर 2019 से पहले की अवधि अर्थात् पूर्व-स्वचालन अवधि के लिए, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत रिफंड आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफंड राशि को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध की गई थी। नमूना लेने के लिए क्रमबद्ध रिफंड आवेदनों को चार चतुर्थकों में विभाजित किया गया था।

26 सितंबर 2019 के बाद दाखिल किए गए रिफंड आवेदनों के चयन के लिए, दावा की गई रिफंड राशि (60 प्रतिशत भारांक), रिफंड की मंजूरी में विलंब (15 प्रतिशत), रिफंड के लिए स्वीकृत राशि का दावा अनुपात (10 प्रतिशत) और कमी जापन जारी करना (15 प्रतिशत) जैसे जोखिम मापदंडों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया था। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जोखिम स्कोर के आधार पर रिफंड आवेदनों का चयन किया गया था।

उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर, 27 इकाइयों से संबंधित 26 सितंबर 2019 से पहले दावा किए गए रिफंड के 1,133 मामलों का चयन (पूर्व-स्वचालन मामले) किया गया था, जिनमें से कोविड-19 महामारी में महत्वपूर्ण आवाजाही पाबंदियों के कारण 20 इकाइयों से संबंधित 571 मामलों की जांच की जा सकी तथा 26 सितंबर 2019 के बाद की अवधि के लिए, 1,136 मामलों में से 20 इकाइयों के 568 रिफंड मामलों का चयन (पश्च-स्वचालन मामले) किया गया तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल¹¹ पर लॉगिन आई.डी. आधारित अभिगम का उपयोग करके जांच की गई। चयनित परिमंडलों में प्रसंस्कृत 30,168 रिफंड मामलों में से कुल 1,139 मामलों (3.78 प्रतिशत) (पूर्व-स्वचालन: 571 मामले और पश्च-स्वचालन: 568 मामले) की जांच इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) के लिए लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी। श्रेणी-वार लेखापरीक्षा यूनिवर्स और नमूना चयन **परिशिष्ट V** में दिए गए हैं।

2.10.4 कानूनी प्रावधान

निम्नलिखित धाराएं/नियम/अधिसूचनाएं रिफंड का दावा करने के लिए दिशानिर्देश/प्रक्रिया प्रदान करते हैं:

- (i) हरियाणा राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 और धारा 77।
- (ii) हरियाणा राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 से 97 तक।
- (iii) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 और 19।

2.10.5 लेखापरीक्षा परिणाम

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित रिफंड मामलों (पूर्व-स्वचालन और पश्च-स्वचालन) की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां देखी गईं, जैसा कि नीचे तालिका-1 में दर्शाया गया है:

¹¹ बोवेब पोर्टल: वेब पोर्टल विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है जो विभिन्न स्रोतों जैसे ईमेल, ऑनलाइन फ़ोरम, एक प्लेटफॉर्म पर स्थित सर्व इंजनों से एक समान तरीके से जानकारी लाती है।

तालिका 1: देखी गई कमियों के विवरण

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा परिणामों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना				पाई गई कमियों की संख्या				नमूनों की संख्या के संबंध में कमियों की प्रतिशतता (5+7/1+3)*100
	पूर्व-स्वचालन		पश्च-स्वचालन		पूर्व-स्वचालन		पश्च-स्वचालन		
	संख्या 1	राशि 2	संख्या 3	राशि 4	संख्या 5	राशि 6	संख्या 7	राशि 8	प्रतिशतता
पावती जारी करने में विलंब	571	30,666.82	568	27,189.56	271	16,432.05	178	12,244.37	39.42
रिफंड आदेश जारी करने में विलंब	571	31,384.59	568	30,075.39	57	2,546.76	77	5,087.37	11.76
प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को रिफंड आदेशों को संप्रेषित करने में विलंब	571	31,384.59	0	0	5	38.61	0	0	0.87
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अनियमित रिफंड	232	9,655.23	289	9,038.14	0	0	2	71.27	0.38
जीरो-रेटेड आपूर्ति मामलों में अनियमित रिफंड	266	20,175.28	202	17,867.86	8	27.14	14	164.89	4.70
जीरो-रेटेड आपूर्ति के अलावा अनंतिम रिफंड की अनियमित प्रदानगी	305	11,209.31	366	12,207.52	2	14.53	0	0	0.30
निर्धारित को जारी किए गए रिफंड के भुगतान के संबंध में प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण से पुष्टि	571	31,384.59	0	0	178	5,813.80	0	0	31.17

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने देखा कि पावती जारी करने में 39.42 प्रतिशत और रिफंड आदेश मामलों को जारी करने में 11.76 प्रतिशत विलंब हुआ था। तथापि, अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों से विचलन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त सभी मामले 0.30 से 39.42 प्रतिशत के मध्य रहे।

लेखापरीक्षा अवधि (जुलाई 2017 से जुलाई 2020) के दौरान, चयनित इकाइयों में पूर्व-स्वचालन अवधि में 20,761 रिफंड मामले प्रसंस्कृत किए गए, जिसमें से 571 रिफंड मामलों की जांच की गई और पश्च-स्वचालन की अवधि में 9,407 मामले प्रसंस्कृत किए गए, जिनमें से 568 मामलों की जांच की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर ध्यान दिया गया और इन मामलों के आधार पर पाई गई कमियों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

2.10.5.1 निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना

(क) पावती

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 90 (2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जहां आवेदन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिफंड के दावे से संबंधित है, फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में पावती आवेदक को प्री-ऑटोमेटन चरण में आवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि के अंदर और पश्च-स्वचालन चरण में दाखिल करने की तारीख से उपलब्ध कराई जाएगी। पावती में स्पष्ट रूप से रिफंड के लिए दावा दायर करने की तारीख का उल्लेख होना चाहिए।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 71 मामलों¹² (371 मामलों में से 19.13 प्रतिशत) में पावती जारी करने में एक से 256 दिनों का विलंब हुआ था और विलंब के लिए औसत और माध्य मान क्रमशः 41.65 दिन और 30 दिन था। इनमें से 65 मामलों, चार मामलों और दो मामलों में क्रमशः तीन माह, तीन से छः माह और छः माह से अधिक का विलंब हुआ था। आगे, 200 मामलों¹³ में पावती जारी नहीं की गई थी।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पावती जारी करने में 178 मामलों¹⁴ (31.33 प्रतिशत)¹⁵ में एक से 116 दिनों तक का विलंब था और विलंब का औसत और माध्य मान क्रमशः 15.75 दिन और 10 दिन था। इनमें से 176 मामलों और दो मामलों में क्रमशः तीन माह और तीन माह से अधिक का विलंब हुआ था।

इस प्रकार, विभाग तत्रैव नियमों में निर्धारित पावतियों को जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि पावती जारी करने में चूक एक प्रक्रियात्मक चूक थी और अनियमितता प्रकृति में तकनीकी थी लेकिन रिफंड निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किए गए थे।

(ख) कमी जापन

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 90 (2) एवं 90 (3) में प्रावधान है कि यदि रिफंड आवेदन में कोई कमी देखी जाती है, तो उचित अधिकारी¹⁶ पूर्व-स्वचालन चरण में आवेदन प्राप्त होने से 15 दिनों की अवधि के अंदर फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में आवेदक को कमियों के बारे में सूचित करेगा।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त गुरुग्राम (पूर्व) के पांच रिफंड मामलों में, कमी जापन (फॉर्म आर.एफ.डी.-03) सात से 25 दिनों के मध्य के विलंब के साथ जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप तत्रैव नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

¹² उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त फरीदाबाद (पूर्व): 8; फरीदाबाद (दक्षिण): 6; गुरुग्राम (उत्तर): 3; गुरुग्राम (दक्षिण): 9; जगाधरी: 7; करनाल: 19; कुरुक्षेत्र: 2; पानीपत: 15; रेवाड़ी: 1 और रोहतक: 1.

¹³ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 23; फरीदाबाद (उत्तर): 1; फरीदाबाद (पश्चिम): 12; गुरुग्राम (उत्तर): 5; गुरुग्राम (पूर्व): 26; गुरुग्राम (पश्चिम): 27; गुरुग्राम (दक्षिण): 1; हिसार: 1; जगाधरी: 24; झज्जर: 27; करनाल: 1; कुरुक्षेत्र: 1; पंचकुला: 8; पानीपत: 1 और सोनीपत: 42.

¹⁴ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 6; फरीदाबाद (उत्तर): 1; फरीदाबाद (पूर्व): 8; फरीदाबाद (पश्चिम): 4; फरीदाबाद (दक्षिण): 2; गुरुग्राम (उत्तर): 10; गुरुग्राम (पूर्व): 28; गुरुग्राम (पश्चिम): 17; गुरुग्राम (दक्षिण): 9; हिसार: 2; जगाधरी: 5; झज्जर: 11; करनाल: 24; पानीपत: 22; रेवाड़ी: 4; रोहतक: 6 और सोनीपत: 19.

¹⁵ पूर्व-स्वचालन के 571 मामलों और पश्च-स्वचालन के 568 मामलों के संबंध में प्रतिशतता की गणना की गई है।

¹⁶ "उचित अधिकारी" का अर्थ केंद्रीय/राज्य कर का आयुक्त या अधिकारी है जिसे आयुक्त द्वारा वह कार्य सौंपा गया है।

कमी जापन जारी करने में औसत विलंब 13.2 दिन और माध्य विलंब 11 दिन था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि कमी जापन जारी करने में देरी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में प्रक्रियात्मक और नीति संबंधी स्पष्टता की कमी के कारण थी।

(ग) रिफंड संस्वीकृति आदेश

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (7) के अंतर्गत, उचित अधिकारी सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर रिफंड आदेश जारी करेगा। आगे, अधिनियम की धारा 56 में प्रावधान है कि यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर आवेदक को कोई रिफंड कर आदेश जारी नहीं किया जाता है तो छः प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 94 में प्रावधान है कि फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में भुगतान सूचना के साथ ब्याज के लिए आदेश दिया जाएगा, जिसमें विलंबित अवधि के लिए रिफंड की राशि और ब्याज को निर्दिष्ट किया जाएगा। किसी निर्णयन प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होने वाले रिफंड के मामले में, ब्याज नौ प्रतिशत की दर से देय होगा।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 57 मामलों¹⁷ (9.98 प्रतिशत) में रिफंड आदेशों की स्वीकृति में चार से 436 दिनों तक का विलंब हुआ था तथा इन मामलों में औसत विलंब 65.77 दिनों का था और विलंब के लिए माध्य मान 32 दिन था। इनमें से 45 मामलों में तीन माह तक का विलंब हुआ, छः मामलों में तीन से छः माह का विलंब हुआ और छः मामलों में छः माह से अधिक का विलंब हुआ। रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने में विलंब के लिए पात्र व्यक्तियों को ₹ 32.48 लाख (परिशिष्ट VI) का ब्याज भी देय था जो विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 77 मामलों¹⁸ (13.55 प्रतिशत) में रिफंड आदेशों की स्वीकृति में एक से 122 दिनों तक का विलंब हुआ था, इन मामलों में औसत विलंब 34.32 दिन था और विलंब के लिए माध्य मान 25 दिनों का था। इनमें से 74 मामलों में तीन माह और तीन मामलों में तीन से छः माह तक का विलंब हुआ। रिफंड

¹⁷ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त फरीदाबाद (उत्तर): 3; फरीदाबाद (पश्चिम): 1; गुरुग्राम (उत्तर): 6; गुरुग्राम (पूर्व): 2; गुरुग्राम (दक्षिण): 4; झज्जर: 2; जगाधरी: 4; करनाल: 11; पंचकुला: 5; पानीपत: 11 और सोनीपत: 8.

¹⁸ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 3; फरीदाबाद (उत्तर): 2; फरीदाबाद (पूर्व): 5; फरीदाबाद (पश्चिम): 3; फरीदाबाद (दक्षिण): 3; गुरुग्राम (उत्तर): 7; गुरुग्राम (पूर्व): 21; गुरुग्राम (पश्चिम): 2; गुरुग्राम (दक्षिण): 4; हिसार: 1; झज्जर: 3; जगाधरी: 2; करनाल: 6; पानीपत: 3; रेवाड़ी: 2; रोहतक: 1 और सोनीपत: 9.

स्वीकृति आदेश जारी करने में विलंब के लिए पात्र व्यक्तियों को ₹ 30.01 लाख (परिशिष्ट VI) का ब्याज भी देय था जिसका विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विभाग तत्रैव नियमों में यथा निर्धारित रिफंड आदेशों को स्वीकृत करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में टिथरिंग समस्याओं के कारण रिफंड की मंजूरी में देरी हुई। आगे विभाग ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए किसी भी मामले में करदाताओं ने देर से जारी की गई रिफंड राशि के ब्याज का दावा नहीं किया था। तथापि, विभाग द्वारा रिफंड स्वीकृति आदेश विलंब से जारी करने पर ब्याज देय था।

(घ) प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को रिफंड आदेशों का संचार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 4/24/2017-वस्तु एवं सेवा कर दिनांक 21 दिसंबर 2017 के माध्यम से निर्देश दिया था कि केंद्रीय कर प्राधिकरण अथवा राज्य कर प्राधिकरण/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए रिफंड आदेश को संबंधित समकक्ष कर प्राधिकारी को प्रासंगिक स्वीकृत कर या उपकर की राशि का भुगतान करने के लिए सात कार्य दिवसों, जैसा भी मामला हो, के अंदर सूचित किया जाएगा। इसमें रिफंड आदेशों की मंजूरी के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/नियम, 2017 की धारा 54 (7) और नियम 91 (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला और जगाधरी के पांच मामले जिनमें एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर/केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की राशि ₹ 38.61 लाख का रिफंड शामिल था, तीन से 97 दिनों के मध्य के विलंब के साथ केंद्रीय कर प्राधिकरण को अग्रेषित किए गए थे। इनमें से तीन मामलों में तीन माह तक और दो मामलों में तीन माह से अधिक का विलंब हुआ। प्रतिपक्ष कर प्राधिकारियों को रिफंड आदेश अग्रेषित करने में औसत विलंब 47.20 दिन और माध्य 35 दिन का था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर सहमति व्यक्त की और बताया कि देरी प्रक्रियात्मक/तकनीकी मामलों के कारण थी और राजकोष को कोई मौद्रिक हानि नहीं हुई थी।

(ङ) रिफंड की अस्वीकृत राशि के लिए नोटिस जारी न करना

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 92(3) में प्रावधान है कि जहां उचित अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है, कि रिफंड के रूप में दावा की गई राशि का पूरा या कोई हिस्सा आवेदक को स्वीकार्य नहीं है या देय नहीं है, वह आवेदक को फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-08 में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे इस तरह के नोटिस

की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-09 में उत्तर देने की आवश्यकता होगी। और उत्तर पर विचार करने के बाद, फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में एक आदेश देगा जिसमें रिफंड की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाएगा, या उक्त रिफंड दावे को खारिज कर दिया जाएगा तथा उक्त आदेश आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रावधान में यह भी प्रदान किया गया है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रिफंड के लिए कोई भी आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 21 रिफंड आदेशों (3.68 प्रतिशत) में ₹ 61.08 लाख की राशि को अस्वीकार करने के बाद स्वीकृत किए गए थे।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 24.12 लाख की राशि को अस्वीकार करने के बाद 26 मामलों¹⁹ में रिफंड आदेश (4.58 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए थे।

विभाग ने निर्धारित नियमों के उल्लंघन में संबंधित आवेदकों को प्रपत्र आर.एफ.डी.-08 में नोटिस जारी नहीं किया था। इस प्रकार, विभाग तत्रैव नियमों में निर्धारित दावा की गई रिफंड राशि को अस्वीकार करने से पहले नोटिस जारी करने के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे रिफंड राशि की अस्वीकृति पर अनापत्ति के लिए वचनबद्धता देने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

2.10.5.2 रिफंड प्रदानगी

(क) अनंतिम रिफंड

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (6) में प्रावधान है कि उचित अधिकारी, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-रेटेड आपूर्ति के कारण रिफंड के लिए किसी भी दावे के मामले में, अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को छोड़कर इस प्रकार दावा की गई कुल राशि का 90 प्रतिशत अस्थायी आधार पर रिफंड कर सकता है।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त गुरुग्राम (दक्षिण) के एक रिफंड मामले में ₹ 37.73 लाख (90.70 प्रतिशत) की राशि को ₹ 41.60 लाख के रिफंड दावे के विरुद्ध अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.29 लाख के रिफंड की अधिक प्रदानगी हुई थी। आगे, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त

¹⁹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 3, गुरुग्राम (उत्तर): 4, गुरुग्राम (पूर्व): 4, गुरुग्राम (पश्चिम): 11, पानीपत: 1 और सोनीपत: 3.

फरीदाबाद (पूर्व) के दो मामलों में, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण दावा किए गए रिफंड के लिए अनंतिम आधार पर ₹ 14.53 लाख के रिफंड को मंजूरी दी, जिसे प्रावधानों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि कोई राजस्व हानि नहीं हुई क्योंकि करदाता को केवल रिफंड की पात्र राशि प्रदान की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने प्रावधानों की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

(ख) निर्यात के कारण अनियमित रिफंड

हरियाणा सरकार ने दिनांक 16 दिसंबर 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 356/वस्तु एवं सेवा कर-II तथा दिनांक 29 मई 2020 की संख्या 798 के द्वारा निर्देश दिया कि कर का भुगतान किए बिना माल के निर्यात के कारण रिफंड के दावे के लिए किए गए आवेदन की विस्तृत संवीक्षा करते हुए, शिपिंग बिल उचित अधिकारी द्वारा आइसगेट²⁰ पोर्टल (www.icegate.gov.in) के माध्यम से विवरणों की जांच की जाएगी ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि आवेदक को रिफंड देय है। आगे, राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम का नियम 89 (2) (सी) प्रावधान करता है कि सेवाओं के निर्यात के कारण रिफंड के मामले में रिफंड के लिए आवेदन के साथ एक विवरण होना चाहिए जिसमें चालानों की संख्या और तारीख एवं संबंधित बैंक वसूली प्रमाण-पत्र (बी.आर.सी.) या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र (एफ.आई.आर.सी.), जैसा भी मामला हो, शामिल होने चाहिए। दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि सहायक दस्तावेजों को अधिकार क्षेत्र के उचित अधिकारी के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन मामलों में (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अंबाला: 1 मामला और करनाल: 2 मामले) आवेदकों ने कर के भुगतान के बिना माल के निर्यात के कारण रिफंड का दावा किया। इन मामलों में, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने ₹ 2.07 करोड़ के निर्यात मूल्य के विरुद्ध ₹ 22.24 लाख के रिफंड की मंजूरी दी थी। शिपिंग बिलों का सत्यापन करते समय ₹ 80.95 लाख मूल्य के निर्यात को केवल आइसगेट पोर्टल पर सत्यापित किया जा सकता था और ₹ 1.26 करोड़ के निर्यात को सत्यापित नहीं किया जा सका। इन लेनदेनों के निर्यात दस्तावेज भी वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर नहीं मिले। इस प्रकार, करदाता निर्यात के सत्यापित मूल्य के लिए ₹ 9.99 लाख के रिफंड के हकदार थे और ₹ 12.25 लाख के रिफंड की मंजूरी अनियमित थी क्योंकि यह निर्धारित निर्यात दस्तावेजों के सत्यापन के बिना की गई थी।

इसी प्रकार, अन्य तीन मामलों (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व): 1 मामला और गुरुग्राम (दक्षिण): 2 मामले) में आवेदकों ने कर के भुगतान के बिना सेवाओं के निर्यात के कारण रिफंड का दावा किया। इन मामलों में, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने

²⁰

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ई.सी./ई.डी.आई.) गेटवे।

₹ 19.52 करोड़ के निर्यात मूल्य के विरुद्ध ₹ 71.96 लाख के रिफंड की मंजूरी दी थी। आइसगेट पोर्टल पर उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला कि करदाताओं ने परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रतिफल की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की थीं। इस प्रकार, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने निर्देशों के उल्लंघन में बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ₹ 71.96 लाख के अनियमित रिफंड की मंजूरी दी थी।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में प्रतिक्रिया में संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत सीमा शुल्क संरचनाओं से शिपिंग बिलों की सत्यता को सत्यापित करने और बैंक वसूली प्रमाण-पत्रों/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्रों की प्रासंगिक प्रतियां भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(ग) इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिबंध

हरियाणा सरकार ने दिनांक 16 दिसंबर 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 356/वस्तु एवं सेवा कर-II के माध्यम से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक को (i) सभी इन्वॉइसों के विवरण जिनके आधार पर संबंधित अवधि के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-बी) में रिफंड का दावा किया गया था और (ii) इन्वॉइसों की स्व-प्रमाणित प्रतियां जिनके संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा किया गया था और जिन्हें उस परिशिष्ट-बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र घोषित किया गया है, किंतु जो जी.एस.टी.आर.-2ए रिटर्न में नहीं भरे गए हैं, अपलोड करना होगा। दिशा-निर्देशों में आगे यह निर्धारित किया गया था कि सहायक दस्तावेजों को अधिकार क्षेत्र के उचित अधिकारी के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने आगे दिनांक 29 मई 2020 की अपनी अधिसूचना संख्या 798 के माध्यम से स्पष्ट किया कि संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उन चालानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि तक सीमित होगा, जिनका विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा जी.एस.टी.आर.-1 प्रपत्र में अपलोड किया गया है तथा आवेदक के जी.एस.टी.आर.-2 ए में प्रदर्शित किया गया है।

(i) पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ रिफंड मामलों²¹ में, जहां कर के भुगतान के बिना इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर या निर्यात के कारण संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड के लिए मार्च 2020 तक रिफंड हेतु आवेदन किए गए थे, अधिकारी ने रिफंड आवेदन में दावा किए गए ₹ 7.97 करोड़ (परिशिष्ट VIII) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर ₹ 2.72 करोड़ के रिफंड की मंजूरी दी थी। तथापि, निर्देशों के अनुसार, अधिकारी को विभिन्न कारणों जैसे कि जी.एस.टी.आर.-2ए में परिलक्षित कर इन्वॉइसों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट के

²¹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 1, फरीदाबाद (पश्चिम): 1, गुरुग्राम (उत्तर): 1, करनाल: 1 और सोनीपत: 4.

गैर-प्रतिबंधन, जहां आवेदक द्वारा परिशिष्ट-बी अपलोड नहीं किया गया था, जी.एस.टी.आर.-2ए में प्रदर्शित नहीं होने वाले कर इन्वॉइसों को अपलोड न करने के लिए, अनुबंध बी में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जी.एस.टी.आर.-2ए में दर्शाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम थी इत्यादि, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ₹ 7.40 करोड़ तक सीमित करके ₹ 2.53 करोड़ के रिफंड की मंजूरी देनी पड़ी। इस प्रकार, अधिकारी ने जी.एस.टी.आर.-2ए में प्रदर्शित इन्वॉइसों की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित न करके और आवेदकों द्वारा अपलोड की गई कर इन्वॉइसों की प्रमाणित प्रतियों के अभाव में ₹ 19.13 लाख के अतिरिक्त रिफंड को अनियमित रूप से स्वीकृत किया था।

(ii) आगे चार रिफंड मामलों²² में आवेदकों ने कर भुगतान के बिना इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या निर्यात के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के लिए दावा किया था (मार्च 2020 के बाद)। इन मामलों में, अधिकारी (अधिकारियों) ने रिफंड आवेदन में दावा किए गए ₹ 1.63 करोड़ (परिशिष्ट VIII) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर ₹ 1.00 करोड़ के रिफंड की मंजूरी दी थी। तथापि, निर्देशों के अनुसार, अधिकारी (अधिकारियों) को जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट को ₹ 1.34 करोड़ तक सीमित करके ₹ 73.74 लाख के रिफंड की मंजूरी देनी थी। इन मामलों में रिफंड के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा जी.एस.टी.आर.-2ए में दर्शाए गए टैक्स इनवॉयस से अधिक था। इस प्रकार, अधिकारी ने ₹ 26.66 लाख के अतिरिक्त रिफंड को अनियमित रूप से स्वीकृत किया था।

इस प्रकार, विभाग सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के आलोक में देय रिफंड की गणना के लिए विचार किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित करने में विफल रहा था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 45.79 लाख का अधिक रिफंड दिया गया।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में उत्तर में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(घ) व्यापारी निर्यातक को की गई आपूर्ति के कारण अनियमित रिफंड

हरियाणा सरकार ने दिनांक 24 अक्टूबर 2017 की अपनी अधिसूचना संख्या 117/एस.टी.-2 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने दिनांक 23 अक्टूबर 2017 की अपनी अधिसूचना संख्या 40/2017 द्वारा निर्यात के लिए पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर योग्य वस्तुओं की राज्य के अंदर आपूर्ति हेतु राज्य तथा केंद्रीय कर प्रत्येक में 0.05 प्रतिशत से अधिक की छूट दी है। पंजीकृत प्राप्तकर्ता को वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.) के विवरण वाले शिपिंग बिल या निर्यात के बिल की प्रति तथा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के कर इन्वॉइस के साथ निर्यात सामान्य घोषणा-पत्र अथवा निर्यात रिपोर्ट के प्रमाण

²²

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण): 1, करनाल: 1, पानीपत: 1 और सोनीपत: 1.

के रूप में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता साथ ही ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को प्रदान करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त छूट के लिए पात्र नहीं होगा यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता कर इन्वॉइस जारी होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के अंदर उक्त माल का निर्यात करने में विफल रहता है।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि गुरुग्राम (दक्षिण) और गुरुग्राम (पूर्व) के दो मामलों में आवेदकों ने व्यापारी निर्यातकों को 0.1 प्रतिशत की कर दर पर ₹ 4.02 करोड़ की आपूर्ति पर इन्वर्टेड शुल्क संरचना के कारण संचित ₹ 78.42 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड हेतु आवेदन किया था। इन मामलों में संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने ₹ 73.90 लाख के रिफंड की मंजूरी दी थी। तथापि, प्राप्तकर्ताओं ने ऐसा कोई दस्तावेज जमा नहीं किया था, भले ही आवेदक द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया ताकि आवेदक ₹ 2.63 लाख के रिफंड के लिए पात्र हों जिसके परिणामस्वरूप निर्यात के समर्थन में दस्तावेज प्राप्त किए बिना ₹ 71.27 लाख का अनियमित रिफंड हुआ।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में उत्तर में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(ड) समयबाधित मामलों में रिफंड की अनियमित प्रदानगी

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (1) में प्रावधान है कि संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 54 (14) (2) आगे दो साल की अनुमेय अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि निर्धारित करती है जैसा कि नीचे वर्णित है:

(क) समुद्र अथवा वायु मार्ग द्वारा निर्यात किए गए माल के मामले में, जिस तारीख को जहाज या विमान जिसमें ऐसा माल लदा है, भारत छोड़ता है;

(ख) माल के माने गए निर्यात के मामले में, जिस तारीख को ऐसे माने गए निर्यात से संबंधित रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है; और

(ग) इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड के मामले में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि, जिस अवधि में रिफंड का ऐसा दावा उत्पन्न होता है।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों²³ में करदाताओं ने इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर तथा वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात के कारण ₹ 1.30 करोड़ के संचित इनपुट

²³ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (पूर्व): 1, फरीदाबाद (दक्षिण): 1, गुरुग्राम (पश्चिम): 2, रोहतक: 1 और सोनीपत: 2.

टैक्स क्रेडिट (परिशिष्ट IX) के रिफंड का दावा किया था। इन मामलों में संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने ₹ 1.24 करोड़ के रिफंड की मंजूरी दी थी। लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त संदर्भित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समयबाधित अवधि से संबंधित ₹ 88.91 लाख की राशि का रिफंड अवलोकित किया। इस प्रकार, रिफंड प्रदान करने की समयबद्ध अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹ 88.91 लाख के रिफंड की अनियमित प्रदानगी हुई।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में उत्तर में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन मामलों की पुनः जांच करने और संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

2.10.5.3 फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य के स्थान पर इन्वॉइस मूल्य पर विचार करने के कारण अतिरिक्त रिफंड

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) (i) कर भुगतान के बिना शून्य-रेटेड आपूर्ति हेतु किसी भी कर अवधि के अंत में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का प्रावधान करती है। इसी प्रकार, एकीकृत कर के संबंध में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 भी यह निर्धारित करती है कि 'शून्य रेटेड आपूर्ति' में 'वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों का निर्यात' शामिल है। आगे, अधिनियम की धारा 54 (14) के नीचे स्पष्टीकरण (1) में अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया है कि 'रिफंड' में ऐसी शून्य-रेटेड आपूर्ति करने में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का रिफंड शामिल है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 89 के उप-नियम 4 में कर के भुगतान के बिना माल की ऐसी शून्य-रेटेड आपूर्ति के मामले में रिफंड प्रदानगी हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रावधान किया गया है:

रिफंड राशि = (माल की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) * निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट/समायोजित कुल टर्नओवर।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) ने दिनांक 15.03.2018 के अपने परिपत्र संख्या 37/11/2018-वस्तु एवं सेवा कर तथा हरियाणा सरकार ने दिनांक 16 दिसंबर 2019 की अपनी संख्या 356/वस्तु एवं सेवा कर-II द्वारा निर्देश दिया कि वस्तु एवं सेवा कर इन्वॉइस में घोषित माल का मूल्य तथा संबंधित शिपिंग बिल/निर्यात बिल में मूल्य की जांच आइसगेट पोर्टल से उचित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और रिफंड की पात्र राशि की गणना करते समय दोनों मूल्यों में से कम मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि पश्च-स्वचालन की अवधि के दौरान सहायक दस्तावेजों को अधिकार क्षेत्र के अधिकारी कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ²⁴ मामलों (1.40 प्रतिशत) में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य ₹ 24.81 करोड़ था। तथापि, आवेदकों ने ₹ 26.79 करोड़ के इन्वॉइस मूल्य के आधार पर रिफंड का दावा किया था। संबंधित अधिकारियों ने निर्देशों के उल्लंघन में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के बजाय इन्वॉइस मूल्य पर विचार करके ₹ 3.71 करोड़ के स्वीकार्य रिफंड के विरुद्ध ₹ 3.98 करोड़ के रिफंड की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.27 करोड़ के रिफंड की प्रदानगी हुई।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों²⁵ (1.40 प्रतिशत) में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य ₹ 130.40 करोड़ था। तथापि, आवेदकों ने ₹ 140.86 करोड़ के इन्वॉइस मूल्य के आधार पर रिफंड का दावा किया था। संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने निर्देशों के उल्लंघन में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के बजाय इन्वॉइस मूल्य पर विचार करके ₹ 8.79 करोड़ की स्वीकार्य रिफंड के विरुद्ध ₹ 9.60 करोड़ के रिफंड की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.81 करोड़ के रिफंड की अधिक प्रदानगी हुई।

इस प्रकार, विभाग इन्वॉइस और फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर विचार करने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के अधिक रिफंड की प्रदानगी हुई (परिशिष्ट X)।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि फील्ड कार्यालयों को फ्री ऑन बोर्ड और इन्वॉइस मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर विचार करके रिफंड को संसाधित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.10.5.4 निर्धारिती को जारी किए गए रिफंड के भुगतान के संबंध में प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण से पुष्टि

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के अपने परिपत्र संख्या 24/24/2017-वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निर्देश दिया कि कर प्राधिकरण को संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को कर या उपकर की स्वीकृत रिफंड राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाएगा जैसा भी मामला हो। संबंधित वेतन तथा लेखा अधिकारी द्वारा आवेदक के बैंक खाते में भुगतान जारी करने के बाद, केंद्रीय कर तथा राज्य कर प्राधिकरण के नोडल प्राधिकारी एक दूसरे को सूचित करेंगे।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 178 मामलों²⁶ (31.17 प्रतिशत) में, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए क्रमशः ₹ 37.92 करोड़ तथा ₹ 20.22 करोड़ (परिशिष्ट XI) के भुगतान के लिए रिफंड आदेश प्रतिपक्ष

²⁴ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अंबाला:5; करनाल:2; और कुरुक्षेत्र:1.

²⁵ गुरुग्राम (उत्तर):1; गुरुग्राम (दक्षिण):3; जगाधरी:1; करनाल: 1 और पानीपत: 2.

²⁶ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (दक्षिण): 11; फरीदाबाद (पूर्व): 13; गुरुग्राम (पश्चिम): 25; गुरुग्राम (पूर्व): 13; हिसार: 1; जगाधरी: 27; कैथल: 3; पंचकुला: 10; पानीपत: 35; रेवाड़ी: 1; रोहतक: 2 और सोनीपत: 37.

केंद्रीय कर प्राधिकारियों को भेजे गए थे। तथापि, करदाताओं को किए गए रिफंड भुगतान के संबंध में केंद्रीय कर प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार, संबंधित प्राधिकारियों ने उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में तथा मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में राजस्व हानि नहीं हुई।

2.10.5.5 रिफंड दावों की पश्च लेखापरीक्षा न करना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीरो-रेटेड आपूर्तियों के रिफंड के मैनुअल प्रसंस्करण के लिए विस्तृत रूप से प्रक्रिया निर्धारित की है। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि पृथक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाने तक शामिल राशि के बावजूद मैनुअल रूप से प्रसंस्कृत रिफंड आवेदनों की पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तथापि, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 0.50 लाख से अधिक किंतु ₹ पांच लाख से कम के रिफंड आदेशों की पश्च-लेखापरीक्षा को जारी रखा जा सकता है।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2020 से जून 2021) से पता चला कि जीरो रेटेड आपूर्तियों के लिए रिफंड मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा करने के लिए न तो तंत्र मौजूद था और न ही विभाग ने इसे स्थापित करने के प्रयास किए।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर में रिफंड के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सक्षम करने के लिए निर्देश जारी किए थे (फरवरी 2022)।

2.10.5.6 निष्कर्ष

विभाग प्रावधियां जारी करने, रिफंड आदेश स्वीकृत करने, कमी ज्ञापन के संबंध में नियमों के प्रावधानों का पालन न करने और रिफंड राशि की अस्वीकृति से पहले नोटिस जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

विभाग ने बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/विदेशी इन्वॉइस प्रेषण प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किए बिना अनियमित रिफंड की स्वीकृति दी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित न करके अतिरिक्त रिफंड की स्वीकृति दी थी। विभाग निर्यात दस्तावेजों में दिए गए फ्री ऑन बोर्ड मूल्य की सीमा तक शून्य रेटेड आपूर्ति के मूल्य को सीमित करने में भी विफल रहा था। इसलिए, प्रासंगिक अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के सख्त अनुपालन और अधिक प्रभावी निगरानी की आवश्यकता विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रकट किए गए ₹ 3.98 करोड़ द्वारा प्रमाणित होती है।

रिफंड से संबंधित प्रावधान का पालन न करने के उदाहरणों ने उचित जांच तथा स्वचालन पूरा होने तक रिफंड की मैनुअल प्रोसेसिंग की निगरानी के लिए सिस्टम में सुधार के अलावा सत्यापन के साथ रिफंड प्रोसेसिंग के स्वचालन में तेजी लाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया।

2.10.5.7 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार:

- सभी संबंधित कर प्राधिकारियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करे।
- यह सुनिश्चित करे कि अपात्र श्रेणियों को अनंतिम रिफंड नहीं दिया गया है और निर्यात के मामले में, पात्र राशि से अधिक अनंतिम रिफंड नहीं दिया गया था।

2.11 ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.11.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए और वसूल किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित किया है। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित कर है, जो कई चरणों में लगाया जाता है जिसमें कर आपूर्ति के साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों द्वारा सामान्य कर आधार पर एक साथ कर लगाया जाता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी.) अंतःराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर आउटपुट कर देयता के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मौजूदा कानूनों से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 'इनपुट टैक्स के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों में शामिल किया गया था ताकि मौजूदा कानूनों के अंतर्गत भुगतान किए गए उचित करों या शुल्कों के संबंध में इनपुट टैक्स का दावा करने का अधिकार और तरीका प्रदान किया जा सके।' प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी हस्तांतरित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग सामान्य व्यवसाय में या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता है।

यह विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के दिन करदाताओं के पास उपलब्ध पूर्व- वस्तु एवं सेवा कर (वैट) से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (इसके बाद ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में संदर्भित) में आगे ले जाने के लिए प्रदान करने के लिए आवश्यक था। ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के लिए, इन क्रेडिटों को ठीक से आगे ले जाया जाना चाहिए ताकि उन्हें उन करों का लाभ मिल सके जो उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर से पहले व्यवस्था में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर पहले ही चुकाए थे। सरकार के दृष्टिकोण से, स्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि वस्तु एवं सेवा कर राजस्व के नकदी प्रवाह की सीमा निर्धारित करेगी और इसलिए, राजस्व के हित में, केवल स्वीकार्य और योग्य ट्रांजिशनल क्रेडिट को ही वस्तु एवं सेवा कर में आगे ले जाया जाना

चाहिए। इस प्रक्रिया में, हरियाणा सरकार ने कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण (2017 की अधिनियम संख्या 19, दिनांक 08 जून 2017) के लिए हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 भी बनाया। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम का अध्याय XX (धारा 139 से 142) इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है।

2.11.2 इनपुट टैक्स के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था-विधिक प्रावधान

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम) का अध्याय XX (धारा 139 से 142) करदाताओं को मौजूदा कानूनों के अंतर्गत अर्जित इनपुट टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के साथ पठित धारा इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। कंपोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के अधीन) के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के अंदर ट्रान-1 रिटर्न दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। ट्रान-1 रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा प्रारंभिक रूप से 27 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी गई थी। तथापि, कई करदाता तकनीकी समस्याओं के कारण नियत तारीख के अंदर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। इस प्रकार, ऐसे करदाताओं को समायोजित करने के लिए दिनांक 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना 48/2018 सी.टी. के द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के अंतर्गत उप-नियम 1ए शामिल किया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के आदेश संख्या 01.2020-वस्तु एवं सेवा कर दिनांक 7 फरवरी 2020 द्वारा उन करदाताओं के लिए ट्रान-1 दाखिल करने की नियत तारीख को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था, जो तकनीकी समस्याओं के कारण ट्रान-1 दाखिल नहीं कर पाये थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था के अंतर्गत, मौजूदा कानूनों जैसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) क्रेडिट, राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) आदि के अंतर्गत भुगतान किए गए विभिन्न करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में निम्नानुसार आगे ले जाया गया था:

(क) **अंतिम विवरणी में क्रेडिट का अंतिम शेष:** नियत दिन से ठीक पहले के माह के लिए मौजूदा कानून के अंतर्गत दाखिल विवरणियों में उपलब्ध सेनवैट/वैट क्रेडिट का अंतिम शेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ई.सी.एल.) में क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है।

(ख) **शुल्क भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट:** पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, विनिर्माता या सेवा प्रदाता के अलावा, इन्वॉइसों के आधार पर स्टॉक में रखे गए माल पर भुगतान किए गए शुल्क/कर का क्रेडिट ले सकता है।

(ग) **पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवाएं:** इनपुट या इनपुट सेवाएं नियत दिन अथवा उसके बाद प्राप्त की गईं किंतु उस पर शुल्क अथवा कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के अंतर्गत किया गया था।

(घ) **कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत मौजूदा कानून के अंतर्गत चुकाया गया कर:** वे करदाता जिन्होंने मौजूदा कानून के अंतर्गत देय कर के एवज में निश्चित दर या निश्चित राशि पर कर

का भुगतान किया था, अब वस्तु एवं सेवा कर के अधीन सामान्य योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वे अपने इनपुट स्टॉक, और नियत तिथि पर अर्ध-निर्मित तथा तैयार स्टॉक पर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

(ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट: आपूर्ति के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट जो मौजूदा कानूनों के अंतर्गत वैट और सेवा कर दोनों के लिए है, जिसके लिए नियत तारीख से पहले कर का भुगतान किया गया था और जिसकी आपूर्ति निर्धारित तिथि के बाद की गई थी।

2.11.3 संदर्भ और महत्व

ट्रांजिशनल क्रेडिट लिगेसी व्यवस्था से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट क्रेडिट का एकबारगी प्रवाह है, जिसका लाभ पिछली व्यवस्था से आने वाले करदाताओं के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत नए पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राज्य कर विभाग (एस.टी.डी.) ने इसे ध्यानाकर्षण क्षेत्र माना था और चरणबद्ध तरीके से इन दावों के सत्यापन की परिकल्पना की थी। इस संबंध में, पूरे हरियाणा में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले 3,837 मामलों को विस्तृत सत्यापन के लिए चुना गया था।

2.11.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं की ट्रांजिशनल व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं द्वारा दायर ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम रिटर्न, ट्रान-1 और ट्रान-2 दोनों की समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा सत्यापन में चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया और परिणामों की संवीक्षा शामिल है। व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन में ऐसे दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, मौजूदा कानूनों के अंतर्गत दायर अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न में करदाताओं द्वारा दावा किए गए वैट क्रेडिट की संवीक्षा की जाएगी, जो नियत तारीख यानी 01 जुलाई 2017 से ठीक पहले है। आगे, सामग्री की खरीद से संबंधित दावा किए गए इनपुट टैक्स के संबंध में, सत्यापन में ऐसे सामानों की खरीद के साक्ष्य के लिए आवश्यक इन्वॉइसों, दस्तावेजों या अभिलेखों की जांच शामिल होगी।

2.11.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किए गए ट्रान-1 और ट्रान-2 रिटर्न के अंतर्गत दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट, करदाताओं की वस्तु एवं सेवा कर आउटपुट देयता के विरुद्ध समायोजित किए जाएंगे। इस प्रकार, दावों का वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी ताकि निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- (i) क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था (प्रणालीगत मामले)।
- (ii) क्या निर्धारितियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे (अनुपालन मामले)।

2.11.6 लेखापरीक्षा पद्धति और लेखापरीक्षा मानदंड

चयनित करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए पद्धति में डेटा विश्लेषण, करदाताओं के मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख का सत्यापन शामिल है जो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्तर पर राज्य कर विभाग के पास उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा मानदंड: जिन मानदंडों के विरुद्ध लेखापरीक्षा उद्देश्यों और उप-उद्देश्यों को सत्यापित किया जाना था, उनमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय XX (धारा 139 से 142), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड/राज्य कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र और प्रासंगिक निर्देशों के प्रावधान शामिल हैं।

इसलिए, परिकल्पित प्रणालीगत जांच निम्नलिखित मुद्दों का निपटान करती है (i) क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा विकसित प्रक्रिया सुदृढ़ थी (ii) क्या सत्यापन के बाद, विभाग राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले करदाताओं के विरुद्ध प्रभावी उपचारात्मक कदम उठा सका।

2.11.7 लेखापरीक्षा नमूना

चयनित नमूना मामलों अर्थात् 3,837 की पहचान जोखिम मानकों के आधार पर निम्नानुसार की गई:

- वे करदाता जिन्होंने नियत दिन से ठीक पहले की अवधि के लिए दाखिल किए गए लिगेसी रिटर्न के अनुसार उपलब्ध क्लोजिंग वैट क्रेडिट बैलेंस से अधिक तालिका 5 (सी) के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया है।
- विनिर्माताओं या सेवा प्रदाताओं के ट्रांजिशनल दावे जिन्होंने तालिका 7ए के कॉलम 7बी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया है।

2.11.7.1 नमूना आकार और चयन

27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में कुल 3,837 मामलों में से, आठ जिलों में 2,152 मामले (शत प्रतिशत) विस्तृत सत्यापन हेतु शामिल किए गए थे तथा शेष 13 जिलों में 845 मामले (50 प्रतिशत) उच्च मूल्य ट्रांजिशनल क्रेडिट के आधार पर विस्तृत सत्यापन के लिए निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दौरान शामिल किया गया समग्र नमूना नीचे प्रस्तुत है:

तालिका 2: नमूना चयन

विवरण	मुख्यालय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया नमूना	स्तर I	स्तर II
जनसंख्या	3,837	2,152	1,685
नमूना आकार	2,997	2,152	845
कवरेज की प्रतिशतता	78	100	50

कुल 3,837 मामलों में से 2,997 मामले (78 प्रतिशत), जिसमें 98.33 प्रतिशत ट्रांजिशनल क्रेडिट शामिल थे, विस्तृत सत्यापन के लिए अप्रैल से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान शामिल किए गए थे। उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर इन 2,997 मामलों को दो स्तरों में वर्गीकृत किया गया था।

स्तर I: दो जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद और छः नजदीकी जिलों अंबाला, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में सत्यापन के लिए संभावित जोखिम वाले मामलों का गठन करने वाले करदाताओं के शत-प्रतिशत मामले। इस प्रकार, बाहरी मामले बड़े औद्योगिक केन्द्रों/आर्थिक केन्द्रों से संबंधित हैं जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान शामिल किया गया था।

स्तर II: करदाताओं के 50 प्रतिशत मामले जो 13²⁷ जिलों में तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले हैं।

2.11.8 लेखापरीक्षा क्षेत्र

लेखापरीक्षा क्षेत्र, कानून के प्रावधानों और करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा क्षेत्रों को दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप प्रणालीगत एवं अनुपालन मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.11.8.1 प्रणालीगत मुद्दे

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता से संबंधित प्रणालीगत मुद्दे निम्नानुसार हैं:

2.11.8.1.1 विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र

ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना और करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को विनियमित करना एक नियंत्रण जोखिम है। वस्तु एवं सेवा कर और लिगेसी कानूनों दोनों के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं के अलावा, राज्य कर विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन को प्रमुख संकेंद्रित क्षेत्रों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया था। राज्य कर विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की थी जहां ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे

²⁷ भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जौंद, मेवात, नारनौल, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत।

₹ 25 लाख या उससे अधिक और सत्यापन के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक थे। राज्य कर विभाग ने दो चरणों में इन मामलों का सत्यापन शुरू किया था।

2.11.8.2 अनुपालन मामले

अनुपालन मामले करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का दूसरा लेखापरीक्षा उद्देश्य) में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। करदाताओं को ट्रान-1²⁸ और ट्रान-2²⁹ की विभिन्न निर्दिष्ट तालिकाओं में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करना अपेक्षित था। चूंकि कुछ ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था, अनुपालन के मामलों में सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावकारिता, समय-सीमा का पालन और विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किए गए मामलों से अनुपालन विचलन शामिल हैं, जिनकी नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है:

2.11.8.2.1 अनुपालन विचलन

नीचे उल्लिखित उपयुक्त तालिकाओं में करदाताओं द्वारा दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के घटक दो रूपों ट्रान-1 और ट्रान-2 में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत निर्दिष्ट अंतर्निहित शर्तों से प्रदर्शित होते हैं।

तालिका 3: रिटर्नों के विवरण

रिटर्न	तालिका संख्या	ट्रांजिशनल क्रेडिट कंपोनेंट
ट्रान-1	5(सी)	अंतिम रिटर्न से क्रेडिट की शेष राशि
ट्रान-1	6(बी)	पूजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त ऋण
ट्रान-1	7(बी)	पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवा पर क्रेडिट
ट्रान-1	7(सी)	इनवॉइस द्वारा समर्थित स्टॉक में रखे गए इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	7(डी)	बिना इनवॉइस के स्टॉक में रखे इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	10 ए	प्रिंसिपल की ओर से एजेंट के रूप में रखे गए माल से संबंधित इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	10 बी	एजेंट द्वारा रखे गए माल के लिए इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	11	धारा 142 (11(सी)) के अंतर्गत प्राप्त इनपुट पर क्रेडिट

सामान्य मामले, जो सभी तालिकाओं के लिए समान हैं और तालिका विशिष्ट मामले जिनके प्रकट होने की संभावना है, उन्हें नीचे लाया गया है :

2.11.8.3 प्रमुख परिणाम:

प्रमुख परिणामों का वर्णन अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है:

²⁸ ट्रान-1 करदाताओं द्वारा पुराने नियमों के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का दावा करने के लिए दायर की जाने वाली रिटर्न है।

²⁹ ट्रान-2 करदाताओं द्वारा पुराने नियमों के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का दावा करने के लिए दायर की जाने वाली रिटर्न है, यदि कर भुगतान दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

2.11.8.3.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट की अपात्र राशि को आगे ले जाना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के प्रावधान के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा पंजीकृत व्यक्ति मौजूदा कानून के अंतर्गत ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, उसके द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रस्तुत नियत दिन (01 जुलाई 2017) से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि (30 जून 2017) से संबंधित रिटर्न में आगे ले जाए गए पात्र शुल्कों के सेनवैट/वैट क्रेडिट की राशि लेने का हकदार होगा:

बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्;

- (i) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्रेडिट की उक्त राशि स्वीकार्य नहीं है; अथवा
- (ii) जहां उसने नियत तारीख से ठीक पहले छः माह की अवधि के लिए मौजूदा कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं; अथवा
- (iii) जहां क्रेडिट की उक्त राशि ऐसी छूट अधिसूचना के अंतर्गत बेचे गए माल से संबंधित है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रिफंड का दावा करती है।

कर योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

(क) अपात्र राशि के अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट को आगे ले जाना (जहां निर्धारण आदेशों में ट्रान-1 राशि पर विचार नहीं किया गया था)

27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया था कि कुल 2,997 मामलों में से 700 मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही में) के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2017 एवं मार्च 2021 के मध्य), करदाताओं ने ट्रान-1 (वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था) में वैट क्रेडिट की ₹ 243.38 करोड़ की अतिरिक्त राशि को उनके पात्र क्रेडिट बैलेंस की अधिकता में आगे बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 243.38 करोड़ के वैट क्रेडिट/ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक आगे ले जाया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि 13 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के 42 मामलों³⁰ में ₹ 4.05 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी और शेष मामलों में शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।

ट्रांजिशनल क्रेडिट की औसत अतिरिक्त प्रदानगी ₹ 35.37 लाख थी, तथापि, माध्यम मूल्य ₹ 5.25 लाख था।

(ख) सत्यापन के बिना रिफंड के कारण अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), अंबाला में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 140 मामलों में से एक मामले में दिसंबर 2017 में डीलर द्वारा ₹ 33.94 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 2020 में कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 33.87 लाख के उपलब्ध एक्सेस कैरी फार्वर्ड से ₹ 18.64 लाख के रिफंड की अनुमति दी और अगस्त 2020 में रिफंड आदेश जारी किया गया था। इस रिफंड के भुगतान के बाद, डीलर का उपलब्ध एक्सेस कैरी फार्वर्ड (ई.सी.एफ.) ₹ 15.23 लाख था। तथापि, डीलर ने ₹ 15.23 लाख के उपलब्ध एक्सेस कैरी फार्वर्ड के विरुद्ध ₹ 33.94 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ट्रांजिशनल क्रेडिट की सही राशि पर विचार नहीं किया और ट्रान 1 में ₹ 18.71 लाख के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 18.71 लाख के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक अग्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(ग) फॉर्म ट्रान-1 की विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट

तीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर), फरीदाबाद (पश्चिम), फरीदाबाद (उत्तर) और गुरुग्राम (पश्चिम) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 615 मामलों में से, करदाताओं ने ट्रान-1 में ₹ 2.44 करोड़ की राशि के तीन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए आवेदन किया था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दर्शाया गया था। आगे, यह देखा गया कि करदाताओं ने ट्रान-1 की विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से समान ट्रांजिशनल क्रेडिट राशि का दावा किया। इस तरह करदाताओं को ₹ 2.33 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट के डुप्लीकेट दावे की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 2.33 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

³⁰ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (उत्तर) (तीन मामले: ₹ 0.02 करोड़); फरीदाबाद (दक्षिण) (पांच मामले: ₹ 1.59 करोड़); फरीदाबाद (पश्चिम) (सात मामले: ₹ 0.13 करोड़); करनाल (छ: मामले: ₹ 1.57 करोड़); नारनौल (छ: मामले: ₹ 0.10 करोड़); पलवल (आठ मामले: ₹ 0.32 करोड़); सिरसा (पांच मामले: ₹ 0.17 करोड़); सोनीपत (एक मामला: ₹ 0.10 करोड़); रेवाड़ी (एक मामला: ₹ 0.05 करोड़)।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में तथा अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि फरीदाबाद (पश्चिम) के एक मामले में ₹ 0.11 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी और शेष मामलों में शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।

डुप्लीकेट ट्रांजिशनल क्रेडिट का औसत लाभ ₹ 77.66 लाख था जबकि माध्य मूल्य ₹ 23.76 लाख था।

(घ) ट्रांजिशनल क्रेडिट की अधिकता: सिस्टम त्रुटि

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), गुरुग्राम (उत्तर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 193 मामलों में से, करदाता ने ट्रान-1 में ₹ 1.10 करोड़ की राशि के एक मामले में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, तथापि, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.12 करोड़ की राशि क्रेडिट हुई पाई गई।

प्रक्रिया के अनुसार तालिका 5सी के कॉलम 10 में उल्लिखित राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जानी चाहिए। तथापि, सिस्टम ने तालिका 5सी के कॉलम 10 में उल्लिखित राशि के बजाय तालिका 5सी के कॉलम 2 में उल्लिखित राशि को क्रेडिट कर दिया। आगे, तालिका 5सी के कॉलम 2 में उल्लिखित राशि में ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे के समय लंबित फॉर्म (सी/एच/एफ/आई) के टर्नओवर का इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है। इसलिए, लंबित सांविधिक प्रपत्र देयता की कटौती के बाद, तालिका 5सी के कॉलम 10 में उल्लिखित सही मूल्य के बजाय, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांजिशनल क्रेडिट के गलत मूल्य को क्रेडिट कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप सिस्टम त्रुटि के कारण ₹ 2.17 लाख का अधिक क्रेडिट हुआ।

(ङ) ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट की उक्त राशि इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं है (छूट प्राप्त माल हेतु)

आठ³¹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 729 मामलों में से 73 मामलों में डीलर अनाज जैसे चावल और उसके उप-उत्पादों आदि के व्यापार/विनिर्माण में लगे हुए थे (हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी) जिसमें वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। इन करदाताओं ने अपने ट्रान-1 में ₹ 71.78 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया, जिसमें से ₹ 71.32 करोड़ की राशि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि खाद्यान्न मदों (चावल, गेहूं) को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में कर छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 71.32 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

³¹ फतेहाबाद, गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि तीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों अर्थात् करनाल, कुरुक्षेत्र एवं सिरसा में से उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, करनाल के दो मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की राशि वसूल की गई थी तथा शेष प्रकरणों में शेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी।

छूट प्राप्त वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट की छूट का औसत ₹ 1.04 करोड़ था जबकि माध्यमूल्य ₹ 23.91 लाख था।

(च) ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति जहां करदाताओं ने मौजूदा कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए हैं

सात³² उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 835 मामलों में से 18 मामलों में करदाताओं ने ट्रान-1 में ₹ 57.43 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। इन करदाताओं ने नियत तारीख से ठीक पहले छः माह की अवधि के लिए मौजूदा कानून (वैट) के अंतर्गत अपेक्षित सभी रिटर्न प्रस्तुत किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 57.43 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेशन हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी।

अपेक्षित रिटर्न दाखिल किए बिना अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का औसत ₹ 3.19 करोड़ था जबकि माध्यमूल्य ₹ 18.44 लाख था।

2.11.8.3.2 नियत दिन या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में वैट के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रहित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140 (5) के प्रावधान के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन पर या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट, यदि कोई हो, लेने का हकदार होगा किंतु जिस कर के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, इस शर्त के अधीन कि इन्वॉइस या उसी का कोई अन्य कर भुगतान दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के खाते की बहियों में नियत दिन से तीस दिनों की अवधि के अंदर दर्ज किया गया हो:

बशर्ते कि तीस दिन की अवधि, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा तीस दिनों से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है:

³² भिवानी, फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), कैथल और रोहतक।

आगे यह भी बताया गया है कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अंतर्गत लिए गए क्रेडिट के संबंध में, ऐसी व्यवस्था में इस उप-धारा के अंतर्गत लिए गए क्रेडिट के संबंध में निर्धारित किया जाए।

कर योग्य व्यक्ति जो हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

(क) वैट के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रेषित करना: निर्धारित अवधि के बाद माल का लेखांकन

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रोहतक में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 58 मामलों में से करदाता ने नियत दिन से पहले ₹ 1.68 लाख की राशि के एक मामले में स्टील ट्यूबों की खरीद की, तथापि, सामग्री 10 अगस्त 2017 को फर्म की लेखा-बहियों में ली गई थी। करदाता ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹ 0.08 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया, जिसके लिए करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था क्योंकि नियत दिन से निर्धारित 30 दिनों के बाद लेखा-बहियों में मदों को लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 0.08 लाख के वैट क्रेडिट/ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक अग्रेषित किया गया। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(ख) अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट: ट्रांजिशनल क्रेडिट का डुप्लीकेट दावा

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), जींद में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 44 मामलों में से एक मामले में डीलर ने ट्रान-1 की तालिका 7बी में समान मदों के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर में ₹ 1.10 करोड़ और राज्य वस्तु एवं सेवा कर में ₹ 1.10 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था और उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया गया था। अतः डीलर ने ट्रान-1 में ₹ 1.10 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का डुप्लीकेट दावा किया। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.10 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

2.11.8.3.3 कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140 (6) के प्रावधान के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति, जो या तो निश्चित दर पर कर का भुगतान कर रहा था या मौजूदा कानून के अंतर्गत देय कर के बदले निश्चित राशि का भुगतान कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

लेजर में नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन लेने का हकदार होगा, अर्थात्

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए इस तरह के इनपुट या सामान का उपयोग या उपयोग करने का आशय है;
- (ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं कर रहा है;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;
- (iv) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत कर के भुगतान के साक्ष्य के लिए इन्वॉइस या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं; तथा
- (v) ऐसे इन्वॉइस या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक बारह माह पहले जारी नहीं किए गए थे।

कर योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

तीन³³ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 483 मामलों में से छः मामलों में करदाताओं, जिन्होंने ट्रान-1 में ₹ 2.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था, ने वस्तु एवं सेवा कर से पहले की व्यवस्था में कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना था। ऐसे डीलर वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से पहले के इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं थे, इसलिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में ट्रान-1 प्रोफार्मा की तालिका 5 सी के अंतर्गत ₹ 2.06 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के हकदार नहीं थे। ये डीलर अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अनुसार केवल ट्रान-1 प्रोफार्मा की तालिका 7 सी के अंतर्गत अपने शेष स्टॉक को आगे ले जाने के हकदार थे। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 2.06 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रोषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

³³ गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) और फरीदाबाद (उत्तर)।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि फरीदाबाद (उत्तर) के एक मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था और शेष मामलों में बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

करदाताओं द्वारा अपात्र ट्रांजिशनल क्रेडिट का औसत ₹ 34.41 लाख था जबकि माध्य मूल्य ₹ 28.77 लाख था।

2.11.8.3.4 अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति: लंबित/प्रतीक्षित सांविधिक प्रपत्रों का समायोजन न करना

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत डीलर, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (3), 6 (2), 6 (4), 6 ए, 8 (3) और 8 (8) के अंतर्गत प्रदान किए गए सहायक प्रमाण-पत्र और दस्तावेजों के साथ-साथ फॉर्म सी³⁴, एफ³⁵ और एच³⁶ में निर्धारित घोषणा के बल पर पंजीकृत डीलरों को अंतरराज्यीय बिक्री/लेनदेन, शाखाओं/एजेंटों को माल के हस्तांतरण और भारत के क्षेत्र से बाहर/में माल के निर्यात/आयात पर कर की कुछ छूट/रियायतों के पात्र हैं।

ट्रान-1 रिटर्न के प्रावधानों के अनुसार यदि करदाताओं के पास कोई लंबित सांविधिक प्रपत्र (सी/एफ/एच/आई) है तो उन्हें अंतर कर का भुगतान करना अपेक्षित था और वे कर की रियायती दर के लिए पात्र नहीं थे। इस तरह के देय अंतर कर को उनके द्वारा दायर अंतिम रिटर्न में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस से काटा जाना था और शेष क्रेडिट को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत आगे ले जाया जाएगा। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 140 (1) में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए या धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित किसी भी दावे के कारण जितना क्रेडिट दिया जा सकता है, जो इस तरह से प्रमाणित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा होने के लिए पात्र नहीं होगा।

कर योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

³⁴ कर की रियायती दर पर अंतर-राज्यीय खरीद/बिक्री करने के लिए फॉर्म सी।

³⁵ अन्य राज्यों में शाखाओं/एजेंटों को माल के हस्तांतरण (कर के भुगतान के बिना) करने के लिए फॉर्म एफ।

³⁶ भारत के क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के आदेश का अनुपालन करने के लिए (कर के भुगतान के बिना) खरीदारी करने के लिए फॉर्म एच।

27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि छः³⁷ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 750 मामलों में से करदाताओं ने न तो रियायती दर के लिए सांविधिक प्रपत्र जमा किए और न ही ट्रान-1 रिटर्न के कॉलम 5 (बी) और (सी) में 21 मामलों में लंबित फॉर्म प्रदर्शित किए। इस प्रकार, प्रतीक्षारत/लंबित प्रपत्रों के लिए ट्रान-1 के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित करने के परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 4.96 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 4.96 करोड़ के वैट क्रेडिट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला के एक मामले में ₹ 14,983 की राशि की वसूली की गई थी और शेष मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।

सांविधिक प्रपत्रों के समर्थन के बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट की औसत अनुमति ₹ 23.64 लाख थी जबकि माध्यम मूल्य ₹ 1.25 लाख था।

2.11.8.3.5 ट्रांजिशनल क्रेडिट का समायोजन: इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (5) (सी) की धारा 49 के प्रावधान के अनुसार राज्य कर के कारण पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का उपयोग पहले राज्य कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), कैथल में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 75 मामलों में से करदाताओं ने एक मामले में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 16.35 लाख का दावा किया तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर शीर्ष के अंतर्गत 22 दिसंबर 2017 को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किया। बाद के चरण में यह पता चला कि उक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में योग्य नहीं था, फॉर्म ने 01 जुलाई 2020 को फॉर्म डी.आर.सी.-03 के माध्यम से उक्त राशि जमा की और ₹ 14.68 लाख को पहले एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के विरुद्ध समायोजित किया गया और ₹ 1.67 लाख की शेष राशि को बाद में धारा 49 के उल्लंघन में राज्य वस्तु एवं सेवा कर के विरुद्ध समायोजित किया गया था। इस प्रकार, ₹ 14.68 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट को राज्य वस्तु एवं सेवा कर के बजाय एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के विरुद्ध गलत तरीके से सेट ऑफ किया गया था।

उपर्युक्त बिन्दु अक्टूबर 2021 में विभाग को संदर्भित किए गए थे; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

³⁷ अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर।

2.11.9 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

कुल 2,997 चयनित मामलों में से तीन मामले, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (पश्चिम) से दो मामले और उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) से एक मामला, संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तथापि, मार्च 2022 में एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.11.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताएं विभाग के त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं जिसके कारण वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों में विचलन और गैर-अनुपालन हुआ है। विभाग ने ट्रांजिशनल क्रेडिट्स की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 382.94 करोड़ के अपात्र क्रेडिट की अनुमति दी जा रही थी, इसलिये प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के सख्त अनुपालन और अधिक प्रभावी निगरानी की आवश्यकता थी।

2.11.11 सिफारिशें

सरकार प्राथमिकता के आधार पर ब्याज के उद्ग्रहण तथा वसूली सहित प्रतिवेदन में इंगित की गई वसूलियों को प्रभावी करने पर विचार करे।

